न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 77 / 2022	2022 / 113	11.04.2022	02.05.2022

—उनवान—

1. अशोक पुत्री रणजीत जाति अहीर, निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना, जिला अलवर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नित्यानन्द पुत्र श्री मोहरसिंह
2. रामकलां स्त्री सरदारसिंह जाति अहीर
3. सरदारसिंह पुत्र श्री मोहरसिंह जाति अहीर
4. इन्द्रावती स्त्री नित्यानन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम भुगांरका तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ हाल बिचपुरी तहसील नीमराना, जिला अलवर।

—असल अप्रार्थीगण

5. सतीश पुत्री रणजीत जाति अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना, जिला अलवर।
6. उपपंजीयक नीमराना, जिला अलवर।
7. लैण्ड हॉल्डर नीमराना, जिला अलवर।
8. उपखण्ड अधिकारी नीमरना, जिला अलवर।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01.श्री मनीष कुमावत **—वकील प्रार्थी**
02.श्रीमति प्रमिला यादव **—वकील अप्रार्थीगण**

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान अशोक बनाम नित्यानन्द वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद अशोक बनाम नित्यानन्द वगे0 विचाराधीन है। दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया हुआ है जिसमें दिनांक 03.09.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है। पत्रावली में 30.11.2021 तारीख पेशी नियत थी किन्तु पत्रावली को अभियान के दौरान दिनांक 11.11.2021 को राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बिचपुरी में ले जाया गया वहां पत्रावली पर आगामी तारीख पेशी 02.03.2022 नियत की गई 02.03.2022 को असल अप्रार्थी गण के अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया आगामी तारीख 08.03.2022 नियत की गई। दिनांक 02.03.2022 को प्रतिवादी की तलबी हेतु पत्रावली नियत थी किन्तु पीठासीन अधिकारी ने अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु जोर दिया तथा साथ ही कहा कि प्रार्थी को दावा करने का अधिकार नहीं है दावा गलत तौर पर किया गया है साथ ही यह भी कहा कि न्यायालय द्वारा जो अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की गई है वह बढाये जाने योग्य नही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.03.2022 को प्रकरण का निस्तारण करने के लिए भी कहा गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया से खुलेआम कहा गया कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है। उन्ही के पक्ष में निर्णय पारित करगें। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी राय स्पष्ट जाहीर कर दी जिससे प्रार्थीया को पूरा अंदेशा है कि उपखण्ड अधिकारी महोदय उनके विरूद्व निर्णय पारित करेगें।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि विचाराधीन मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर अपनी सहमती जताई गई है। वकील अप्रार्थी की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन अशोक बनाम नित्यानन्द वगे0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर